Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर

मुकाम बांदीकुई

मुन्ना बचन्द ..... बनाम ..... शकुन्तला देवी

..... नं० ..... सन् .....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
~~ओपन~~	

23/12/25

प्रत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 16/1/26 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

16/01/2026

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० वकील प्रार्थी द्वारा बहस की गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21/01/2026 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

21/01/2026

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०/प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रा.पत्र/पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण वकील ने दौरान बहस तर्क दिया कि भूमि खाता सं नया 60 पुराना 59 के आराजी खसरा नं 1, 2, 3, 61, 164, कुल किता 04 कुल रकबा 0.80 हे० भूमि ग्राम अभयपुरी तहसील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जो कि वर्तमान समय में अप्रार्थी सं. 01 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 01 ने दिनांक 01/4/... को प्रार्थीगण को जरिये इकरारनामा विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा मय ... संभला दिया था। उसके बाद उक्त भूमि में क्रेतागण में से रामकरन पुत्र शंकरलाल जाति जोगी निवासी प्रतापपुरा ने भी अपने हिस्से की जमीन को प्रार्थीगण के हक में हकत्याग करके इस संबंध में इकरारनामा कर प्रार्थीगण को उक्त भूमि का कब्जा संभला दिया था। उक्त भूमि को क्रय करने से आज दिन तक प्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त भूमि के बेचान के पश्चात अप्रार्थी सं. 01 का कोई संबंध सरोकार नही है लेकिन अब उक्त भूमि की कीमत बढ जाने से अप्रार्थी सं. 01 के मन में बदनियती पैदा होगयी है अतः प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रा-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने बाबत एवं अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निम्नांकित तीन बिन्दुओ के आधार पर किया जाता है 1. प्रथम दृष्ट्या मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूरणीय क्षति का सिद्धांत <u>प्रथम दृष्ट्या मामला:-</u> अप्रार्थी सं. 01 वादग्रस्त भूमि में खातेदार/काश्तकार है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में वादग्रस्त भूमि को खरीदने संबंधी कोई वैध पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है। ना ही ऐसा कोई वैध दस्तावेज पेश किया जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हित निहित है। अप्रार्थी सं. 01 वादग्रस्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार है। कानूनन किसी खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। ना ही किसी रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध T.I. जारी की सकती है इसलिये प्रथम

ckyuE

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है। (२) सुविधा का संतुलन (३) अपूरणीय क्षति :- उक्त दोनों बिंदुओं का निर्णय सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने मे असफल रहे है। अस्थायी निषेधाज्ञा में यदि कोई पक्ष प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहता है तो उक्त दोनों बिन्दुओं को भी उसके पक्ष में तय नही किये जा सकते। अतः उक्त दोनों बिन्दुओं को भी प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश हैं कि वादग्रस्त भूमि में दिनांक 25.03.2024 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को वेकेट किया जाकर प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी नांगल (दौसा)	